न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री पी आर मीना ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/72/2023

उनवान

1. विकास पंचायत, कासोरिया, जरियेक सरपंच/सचिव, विकास पंचायत, कासोरिया तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती रामप्यारी पत्नी रामेश्वर लाल ब्राह्मण निवासी–कुण्डिया खुर्द, तहसील–बनेडा, जिला भीलवाडा
2. श्रीमती सीमा देवी पत्नी राधेश्याम ब्राह्मण , निवासी–कासोरिया, तहसील–बनेडा, जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बनेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बनेडा के प्रकरण संख्या 189/2020 निर्णय दिनांक 27.12.2022

अभिभाषक : **1. श्री गोपाल अजमेरा , अधिवक्ता अपीलार्थीगण**
2. श्री भागचन्द शर्मा , अधिवक्ता प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांक 13.2.2026

1. **अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 /प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद कुण्डिया खुर्द पटवार हल्का डाबला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजी संख्या 207 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है। जो राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है।**

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

2. यह कि प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो ग्राम कुण्डिया खुर्द से खेतो मे जाने वाले रास्ते से होकर नहर के सहारे सहारे रेकार्डेड रास्ता संख्या 1938/1 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 1938 की दक्षिणी मेड के सहारे होकर अपनी आराजी मे आती जाती है। जिससे प्रार्थीगण अपने बैलगाडी, संज, ट्रेक्टर आदि अपने पूर्वजो के समय से लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है।

3. प्रार्थीगण की उक्त आराजियात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है, लेकिन विपक्षी संख्या 01 को उक्त रास्ता दर्ज करने हेतु कहने पर टालमटोल करता रहा। विपक्षी संख्या 01 को दिनांक 10 अक्टूम्बर 2020 दो हजार बीस को रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गया व रास्ते को बंद करने की धमकी दी।

4. उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड (नक्शे) में दर्ज नही है। उक्त रास्ता बाबत मौके से रिपोर्ट तलब फरमायी जाकर के नियमानुसार राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है साथ ही विपक्षीगण को पांबद किया जावे कि उक्त रास्ते मे अवरोध पैदा नही करे।

5. उपरोक्त खातेदारो से प्रार्थीगण ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास मे सफल नही हो पाये है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

6. अतः निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद कुण्डिया खुर्द पटवार हल्का डाबला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी संख्या 207 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा भूमि में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो ग्राम कुण्डिया खुर्द से खेतो मे जाने वाले रास्ते से होकर नहर के सहारे सहारे रेकार्डेड रास्ता संख्या 1938/1 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 1938 की दक्षिणी मेड़ के सहारे होकर प्रार्थीया की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात मे आता जाता है, को रास्ता से 15 फीट नया रास्ता दिलाने का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.12.2022 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजीनामा होने से स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

8. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एव उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की ओर से उक्त अनवान की अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 27.12.2022 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही है न ही अधिनस्थ न्यायालय इस बाबत् अपीलार्थी को कोई सूचना ही दी है केवलमात्र मौका निरीक्षण के समय अपीलार्थी को बुलवाया गया एवं न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु कहा तब अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्य अवगत करा दिये तब अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को यह कहा कि आगे की कार्यवाही के बारे में सूचित कर दिया जायेगा लेकिन लम्बे समय से अधिनस्थ न्यायालय से कोई सूचना प्राप्त नही हुई अभी हाल ही में दिनांक 24.05.2023 को हल्का पटवारी एवं गिरदावर के माध्यम से निर्णय जैर बहस की जानकारी हुई हल्का पटवारी ने अपीलार्थी को उक्तानुसार निर्णय पारित होने की जानकारी दी तब अपीलार्थी ने तत्काल ही अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.05.2023 को निर्णय की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील जानकारी से अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है। अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई विलम्ब पारित नही किया है अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कारण युक्ति युक्त एवं सद्भाविक है। प्रकरण अचल सम्पत्ति के महत्वपूर्ण हक, अधिकारों से सम्बन्धित है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत कासोरिया की बहुमूल्य भूमि से सम्बन्धित है जिसमें पूरी पंचायत के हित निहित है इस कारण अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * भीलवाड़ा (राज.) *

10. अपीलार्थीगण ने जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है।

11. अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जावें।

12. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कुण्डियाखुर्द पटवार हल्का डाबला तहसील बनेड़ा में प्रत्यर्थी सं. 01 एवं 02 के खातेदारी आराजी सं. 207 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजियात पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नही है प्रत्यर्थीगण उपरोक्त वर्णित आराजियात पर आने जाने हेतु आराजी सं. 1938घ1 गे.मु. रास्ते से होकर अपीलार्थी की आराजी सं. 1938 की दक्षिणी मेर के सहारे सहारे होकर आतें जाते रहे है तथा उक्तानुसार 15 फीट चौडा रास्ता आराजी सं. 1938 में से दिलाये जाने का अनुतोष चाहा उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत कर उक्तानुसार रास्ता नही होने का कथन किया गया तथा यह भी वर्णित किया कि आराजी सं. 207 से लगती हुई आराजी सं. 208 प्रतिवादी सं. 01 के पति रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र ब्राहम्ण की है तथा आराजी सं. 208/1 भी प्रत्यर्थीगण के परिवारजन की है तथा उक्त आराजियात के लिये आवागमन हेतु रास्ता अपीलार्थी द्वारा पूर्व में आराजी सं. 1938/1 के रूप में छोडा गया है इस रास्ते से होकर प्रत्यर्थीगण आराजी सं. 208/1 एवं 208 के उत्तरी मेर से होते हुए आराजी सं. 207 में आवागमन कर सकते है तथा यही एकमात्र रास्ता प्रत्यर्थीगण की आराजियात में आवागमन हेतु है तथा अपीलार्थी द्वारा यह भी वर्णित किया कि ग्राम पंचायत कासोरिया की कॉरम अर्थात् आमसभा में उक्तानुसार प्रत्यर्थीगण के लिये रास्ता नही दिये जाने पर सहमति बनी है। ऐसी स्थिति मेंअधिनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी की आराजियात की दक्षिणी मेर से होते हुए रास्ता नही दिलाया जाना चाहिये था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर कोई गौर नही कर अपीलार्थी की आराजी सं. 1938 की दक्षिणी मेर से होते हुए रास्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

दिलाया जाने का जो आदेश पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

13. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आराजी सं. 208 एवं 208/1 के लिये पूर्व में भी अपीलार्थी द्वारा ही आराजी सं. 1938/1 के रूप में रास्ता छोडा गया तथा आराजी सं. 208 प्रत्यर्थी सं. 01 के पति की है एवं 208/1 प्रत्यर्थीगण के परिवारजन की ही है तथा सदैव से प्रत्यर्थीगण आराजी सं. 1938/1 से होते हुए आराजी सं. 208/1 एवं 208 की उत्तरी मेर से होते हुए आराजी सं. 207 में आवागमन करते रहे है तथा यही एकमात्र रास्ता प्रत्यर्थीगण की आराजियात में आवागमन का है लेकिन प्रत्यर्थीगण एवं आराजी सं. 208 एवं 208/1 के खातेदारान ने आपसी मिलाभगती कर नवीन रास्ता अपीलार्थी की आराजी में कायम करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 की ओर से प्रस्तुत करवाया है तथा अधिनस्थ न्यायालय को मुगालते में रखते हुए उक्तानुसार निर्णय पारित करवाया है इस प्रकार से पारित निर्णय पूरी तरह मौका स्थिति के विपरित एवं किसी प्रकार नियमों के अनुरूप नहीं होनें के कारण अपास्त होने योग्य है।

14. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जो पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसमें स्पष्ट तौर यह उल्लेख है कि चाहे गये स्थान पर थोर लगे हुए है ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण द्वारा चाहा गया स्थान किसी प्रकार रास्ते के रूप में उपयोग में नही आ रहा है प्रत्यर्थीगण सदैव से आराजी सं. 1938/1 से होते हुए आराजी सं. 208 एवं 208/1 की उत्तरी मेर से होते हुए आराजी सं. 207 में आवागमन कर रहे है। आराजी सं. 1938 में कभी कोई रास्ता प्रत्यर्थीगण की आराजी सं. 207 के लिये नही रहा है फिर अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी सं. 1938 में जो रास्ते दिलाये जाने के जो आदेश पारित किये है वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

15. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि धारा 251ए के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्यर्थीगण को किसी प्रकार रास्ते की अत्यंतिक आवश्यकता होना प्रतीत नही होता है केवल सुविधाजनक रास्ते के उपयोग के लिये सोची समझी साजिश के तहत आराजी सं. 208 एवं 208/1 के खातेदारान से मिलाभगती कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योंकि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार आराजी सं. 207 पर आवागमन हेतु जो रास्ता प्रत्यर्थीगण ने चाहा उस पर थोर की बाड़ लगी होकर रास्ता बंद है साथ ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आराजी सं. 208 के खातेदार प्रत्यर्थी सं. 01 का पति है तथा आराजी सं. 208/1 के खातेदार प्रत्यर्थीगण के परिवारजन है ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण आराजी 1938/1 से होते हुए आराजी सं. 208 एवं 208/1 की उत्तरी मेर से होते हुए आराजी सख्या 207 पर आवागमन कर रहे है ऐसी स्थिति में रास्ते की आवश्यकता अत्यंतिक आवश्यकता होना प्रतीत नही होता है केवलमात्र सुविधाजनक रास्ते के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है उक्त विधिक स्थिति को नही समझ अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

16. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी जो ग्राम की मुखिया है जिसे ग्राम हित के हर क्रियाकलाप की जानकारी होती है तथा प्रत्यर्थीगण की आराजी सं. 207 पर आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता आराजी सं. 1938/1 से होते हुए आराजी संख्या 208 एवं 208/1 की उत्तरी मेर से होते हुए मौजूद होने के कारण ही ग्राम पंचायत द्वारा आराजी संख्या 1938 में रास्ता नही दिये जाने का प्रस्ताव पारित किया है जो ग्राम पंचायत की कॉरम में पारित हुआ है ऐसी स्थिति में माननीय अधिनस्थ न्यायालय को उक्तानुसार समस्त तथ्यों की जानकारी कर निर्णय पारित करना चाहिये था लेकिन केवलमात्र पटवारी रिपोर्ट को आधार मान जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

17. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि ग्राम पंचायत अपीलार्थी द्वारा पूर्व में आराजी संख्या 1938 में रास्ता आराजी सं. 1938/1 के रूप में दिया जा चुका है तो प्रत्येक खातेदार के लिये अलग से रास्ता दिलाने का कोई औचित्य नही है। उक्तानुसार रास्ता दिलाया जाना से अपीलार्थी की आराजी का स्वरूप पूरी तरह बिगड़ जायेगा तथा प्रत्येक आराजी के अलग से रास्ता दिलाया जाना का भी कोई औचित्य नही होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय जो रास्ता दिलाया जाना का आदेश पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

18. अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जावें।

19. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावे। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक दिवस की विलम्ब अवधि का स्पष्ट और युक्तियुक्त कारण दर्शाया जाना आवश्यक होता है। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह समुचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

20. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि 208 रामेश्वर पिता रामचन्द्र हड़ै जो रामप्यारी का पति नहीं है। रामप्यारी के पति रामेश्वर के पिता का नाम मांगी लाल है। दोनों आराजी अलग-अलग खातेदा के नाम पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

21. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की ओर से उक्त अनवान की अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 27.12.2022 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही है न ही अधिनस्थ न्यायालय इस बाबत् अपीलार्थी को कोई सूचना ही दी है केवलमात्र मौका निरीक्षण के समय अपीलार्थी को बुलवाया गया एवं न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु कहा तब अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्य अवगत करा दिये तब अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को यह कहा कि आगे की कार्यवाही के बारे में सूचित कर दिया जायेगा लेकिन लम्बे समय से अधिनस्थ न्यायालय से कोई सूचना प्राप्त नही हुई अभी हाल ही में दिनांक 24.05.2023 को हल्का पटवारी एवं गिरदावर के माध्यम से निर्णय जैर बहस की जानकारी हुई हल्का पटवारी ने अपीलार्थी को उक्तानुसार निर्णय पारित होने की जानकारी दी तब अपीलार्थी ने तत्काल ही अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.05.2023 को निर्णय की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील जानकारी से अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है। अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई विलम्ब पारित नही किया है अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कारण युक्ति युक्त एवं सद्भाविक है। प्रकरण अचल सम्पत्ति के महत्वपूर्ण हक, अधिकारों से सम्बन्धित है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत कासोरिया की बहुमूल्य भूमि से सम्बन्धित है जिसमें पूरी पंचायत के हित निहित है इस कारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

22. अपीलार्थीगण ने जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्‌भाविक है।

23. अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जावें।

24. प्रत्यर्थी की ओर से रिबटल में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह युक्तियुक्त है । अतः न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनाश पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

25. पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया । बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन, अध्ययन व मिलान किया गया । रेकार्ड अनुसार एवं रेस्पोडेण्ट के प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार रामेश्वर जिसकी आराजी नम्बर 208 है वह रामप्यारी का पति नहीं है। वह अलग व्यक्ति है जो दस्तावेज से प्रमाणित है। निकटतम रास्ता आराजी नम्बर 1938 से ही बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की प्रावधानानुसार अति आवश्यकता, लघुत्तम मार्ग व वैकल्पिक मार्ग के बिन्दु का विस्तृत विश्लेषण कर निर्णय पारित किया है। जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★ सत्यमेव जयते

26.

आदेश

27. अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2022 को यथावत रखा जाता है।

28. निर्णय आज दिनांक 13.2.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(पी आर मीणा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा